



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 11-01-2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 187/24 धारा 147/148/149/307/302 भादवि में वांछित अभियुक्त नवनीत पुत्र सतेन्द्र के मकान की चल सम्पत्ति की अन्तर्गत धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की गयी।

कार्यवाही-

दिनांक 10-01-2025 को थाना खेकडा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मु0अ0सं0 187/24 धारा 147/148/149/307/302 भादवि में वांछित अभियुक्त नवनीत पुत्र सतेन्द्र निवासी पाठशाला रोड कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के कस्बा खेकडा में स्थित मकान की चल सम्पत्ति को धारा 83 सीआरपीसी के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क किया गया है।



अभियुक्त नवनीत का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 187/24 धारा 147/148/149/307/302 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 11.01.2025

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 15/25 धारा 109/3(5) बीएनएस, मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 676/24 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 851/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस, वाहन का लॉक तोडने की एक लोहे की टी व मोटरसाईकिल की 04 चाबी तथा चोरी किये हुए 06 मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड व एक पैन कार्ड (तनुज कुमार) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक 09.01.25 को थाना बड़ौत पर वादी मनोज कुमार जैन पुत्र ज्ञानचन्द जैन निवासी ज्ञान विला कुन्दनपुरी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर फायर किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस



सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 109 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 10.01.25 को थाना बड़ौत पर वादी राजेन्द्र पुत्र श्री आशाराम निवासी बिनौली रोड मौ0 रामनगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि वादी का मोबाइल फोन रेडमी-10 प्राईम को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

3. दिनांक 15.10.24 को थाना बडौत पर वादी तनुज कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 14.10.24 को 02 अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटरसाईकिल नम्बर UP17X 7764 व मोटर साईकिल की डिग्गी में रखे मोबाइल फोन SAMANU A21 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 676/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

4. दिनांक 21.12.24 को थाना बडौत पर वादी पंकज तोमर पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि 02 अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मो0सा0 नं0 UP-17-F-2789 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 851/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0सं0 15/25 धारा 109/3(5) बीएनएस, मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 676/24 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 851/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर, वाहन का लॉक तोडने की एक लोहे की टी व मोटरसाईकिल की 04 चाबी तथा चोरी किये हुए 06 मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड व एक पैन कार्ड (तनुज कुमार) बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शुभम पुत्र आशुतोष निवासी ठाकुरद्वारा कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
2. हिमांशु उर्फ चूहाँ पुत्र राजेन्द्र निवासी न्यू रामनगर बिनौली रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
3. मयंक पुत्र दीपक निवासी ठाकुरद्वारा हाल निवासी न्यू रामनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 15/25 धारा 109/3(5) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 15/25 धारा 109/3(5) बी.एन.एस. व 3/25/27 आम्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

2.मु0अ0स0 676/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।

3.मु0अ0स0 851/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।

4.मु0अ0स0 123/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

5.मु0अ0स0 413/22 धारा 379/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।

6.मु0अ0स0 848/22 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

7.मु0अ0स0 709/22 धारा 380/411/427/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

8.मु0अ0स0 361/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

9.मु0अ0स0 359/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

10.मु0अ0स0 356/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

11.मु0अ0स0 123/22 धारा 379/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त मंयक वशिष्ठ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 15/25 धारा 109/3(5) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।

2.मु0अ0स0 17/25 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।

3.मु0अ0स0 851/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।

4.मु0अ0स0 78/23 धारा 323/336/452/504/506 भादिव थाना बडौत जनपद बागपत।



बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- एक मोबाइल सैमसंग, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड (सम्बन्धित मु0अ0सं0 676/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत)
- एक मोबाइल फोन रेडमी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत)
- 04 मोबाइल ।
- वाहन का लाक तोडने की एक लोहे की टी ।
- मोटरसाईकिल की 04 चाबी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत ।

2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार चौधरी थाना बडौत ।

3-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत ।

4-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत ।

5-उ0नि0 220 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत ।

- 6-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
7-का0 142 दीपक कुमार थाना बडौत ।
8-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।
9-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 11.01.2025

थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अलग-अलग घटनाओं में चोरी किये हुए सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों में से 3900 रूपये नगद बरामद ।

घटनाओं का संक्षिप्त का विवरण:-

1. दिनांक 15.10.2024 को थाना रमाला पर वादी प्रदीप कुमार पुत्र बाबूराम गांव गोपालपुर खडाना थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दि कि गाडी नं0 DL A 4744 स्विफ्ट डिजायर में सवार 04 अज्ञात अभियुक्त वादी व वादी के साथी मोहन के मोबाइल रेडमी नोट 8 व ओप्पो



5जी को झपट्टा मारकर ले गये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 282/24 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

2. दिनांक 29.11.2024 को थाना रमाला पर वादी सागर तोमर एडवोकेट पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दि कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के कॉलिज Dr. SN. I.T.I किशनपुर से बैटरा, इन्वर्टर, लेपटॉप व कैमरे की D.V.R और Workshop की 04 मोटर व जनरैटर का एलटीनेटर चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 329/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

जगज्योती

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 282/24 धारा 304 बीएनएस व मु0अ0सं0 329/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों में से 3900 रूपये नगद बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1-विक्रान्त पवार पुत्र धर्मेन्द्र निवासी मौहल्ला विकास नगर करबा एलम थाना कांधला जनपद शामिल।

2-रुचिन पुत्र सतीश उर्फ काले निवासी मादलपुर थाना थानाभवन जनपद शामिल।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों में से 3900 रूपये नगद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-


1-निरीक्षक श्री जनार्दन प्रसाद थाना रमाला।

2-निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम।

3-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला।

4-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला।

5-का0 26 कुलदीप कुमार थाना रमाला।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 11.01.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 296/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 5000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही—

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 296/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 5000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलीम पुत्र युसुफ निवासी गली न07 मक्का मस्जिद जाकिर कालौनी थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 211/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 296/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 197/24 धारा 305 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 150/24 धारा 379/427 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 185/24 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
6. मु0अ0सं0 139/24 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
7. मु0अ0सं0 120/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री शिवरत्न थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2.उ0नि0श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3.है0का0210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

